ग्राम पंचायत हरिपुर विकास खण्ड देहरा जिला काँगड़ा, हि॰ प्र॰ –176028 के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

भाग–एक

1. प्रस्तावना

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत हरिपुर, विकास खण्ड देहरा, जिला काँगड़ा हि0 प्र0 के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का अंकेक्षण हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान, सचिव, तकनीकी सहायक व ग्राम रोजगार सेवक कार्यरत रहे :–

प्रधानः–

क्र॰स॰	नाम	अवधि
1	श्री राकेश कुमार	01.04.2022 से 31.03.2024

सचिव :–

क्र॰स॰	नाम	अवधि
1	श्री राकेश कुमार	01.04.2022 से 31.03.2024

तकनीकी सहायक :–

क्र॰स॰	नाम	अवधि
1	श्री अनिल धीमान	01.04.2022 से 31.03.2024

ग्राम रोजगार सहायक :–

क्र॰स॰	नाम	अवधि
1	श्री अरविंद चौधरी	01.04.2022 से 31.03.2024

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः–

ग्राम पंचायत हरिपुर के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः–

क्र0 सं0	पैरा सं•	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1	4(ग)	रोकड़ बही व बैंक के अन्त शेषों में अन्तर पाया जाना	4.23
2	6.1	अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना	31.54
3	7.1	सम्पत्तिकर/गृहकर का वसूली हेतु शेष पाया जाना	0.27
4	8.1	विवाह पंजीकरण के रूप में प्राप्त राशि का दुर्विनियोजन करना	0.10
5	9.1	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही स्टॉक का क्रय करना	1.25
6	9.2	क्रय किये गये सामान की स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्राप्ति व खपत दर्ज न करना	11.81
7	9.3	खनन सामग्री बिलो के साथ वैध ट्रांजिट पास फॉर्म "X" या "W" की प्राप्ति सुनिश्चित न करने के कारण अनियमित भुगतान करना	5.73
8	10	निर्माण कार्यो के सन्दर्भ में अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत न करना	14.67
9	11	बिल/वाउचर प्रस्तुत न करना	1.34
10	12	अनुचित/असमर्थित/समायोजित व्यय प्रविष्टियां (Adjustment voucher) करने बारे	15.15
11	17.4	गत अंकेक्षण अवधि/वित्तीय स्थिति के अन्तशेषों व प्रस्तुत ऑनलाईन रोकड़ बहियों के अथशेषों में राशि के अन्तर बारे	3.04

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदनः–

हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा ग्राम पंचायत हरिपुर का गत अंकेक्षण अवधि 01/04/2020 से 31/03/2022 के लिये किया गया था, जिसके अंकेक्षण प्रतिवेदन के शेष पैरो पर की गई कार्रवाई का अवलोकन करने के उपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति निम्नलिखित हैः–

(1)अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 01/04/2020 से 31/03/2022 तक

क्र0 सं0	पैरा सं.	निर्णीत/ अनिर्णीत	अनुपालना का संक्षिप्त विवरण
1.	3	निर्णीत	मुख्यालय से पुष्टि उपरांत व डिमांड ड्राफ्ट संख्या–942047 द्वारा अदायगी
2.	4	अनिर्णीत	–
3.	4.1	अनिर्णीत	–
4.	4.2	निर्णीत	प्रस्तुत सटिप्पण उत्तर एवं आवश्यक सुधारात्मक कार्यवाही अमल में लाने के दृष्टिगत
5.	5	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनःप्रारूपित कर दी गई है।
6	6	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनःप्रारूपित कर दी गई है।
7	7.1	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनःप्रारूपित कर दी गई है।
8	7.2	अनिर्णीत	–
9	7.3	निर्णीत	पैरे में शामिल राशि ₹600 दिनांक 07.01.23 को खाता संख्या 20021004343 में जमा करवाने के दृष्टिगत
10	8	अनिर्णीत	–
11	9	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनःप्रारूपित कर दी गई है।
12	10	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनःप्रारूपित कर दी गई है।
13	11	अनिर्णीत	–

भाग–दो

2. वर्तमान अंकेक्षणः–

ग्राम पंचायत हरिपुर के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री प्रवीन कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 13.01.2025 से 18.01.2025 तक

ग्राम पंचायत के कार्यालय में प्रस्तुत की गई स्कीम वाईज ऑनलाईन रोकड़ बहियों के आधार पर किया गया। आय व्यय की विस्तृत जाँच हेतु मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्वः स्त्रोतों की आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गयाः—

वर्ष	आय	व्यय
2022—23	10/2022	05/2022
2023—24	09/2023	06/2023

अस्वीकरण(Disclaimer):-वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3. अंकेक्षण शुल्कः—

ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का अंकेक्षण शुल्क ₹4000/— आंका गया है। अंकेक्षण शुल्क की इस राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट/मल्टीसिटी चैक के माध्यम से निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला—171009 को शीघ्रातिशीघ्र प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा/अ.वृ.का./2025/38 दिनांक—18.01.2025 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया।

4.1 (क).वित्तीय स्थितिः—

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः— राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ.वृ.का. /2025/25 दिनांकः—13.01.2025 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 के लेखों की वित्तीय स्थिति का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट—1** में दिया गया हैः—

1.स्वः—स्त्रोतः—

अवधि	अथशेष	प्राप्ति	योग (कॉलम 2+3)	व्यय	अन्तशेष (कॉलम 4—5)
1	2	3	4	5	6
2022-23	1222795.00	123833.00	1346628.00	302621.50	1044006.50
2023-24	1044006.50	85333.00	1129339.50	65686.00	1063653.50

2.अनुदानः—

अवधि	अथशेष	प्राप्ति	योग (कॉलम 2+3)	व्यय	अन्तशेष (कॉलम 4—5)
1	2	3	4	5	6
2022-23	2644306.60	3804611.00	6448917.60	2873182.00	3575735.60
2023-24	3575735.60	1913827.00	5489562.60	2335664.00	3153898.60

कुल योग (1+2)1063653.50+3153898.60=**4217552.10**

(ख) बैंक समाधान विवरणीः—

दिनांक 31.03.2024 को ग्राम पंचायत की ऑनलाईन रोकड़ बहियों/वित्तीय स्थिति अनुसार अन्तशेष ₹42,17,552.10 तथा प्रस्तुत बैंक खातों/हस्तगत राशि **"परिशिष्ट—3"** अनुसार अन्तशेष ₹37,94,217.32 से सम्बन्धित बैंक समाधान विवरणी निम्नानुसार हैः—

	बैंक खातों की विवरणीः—			
क्र0सं0	विवरण	बैंक	खाता	अन्त शेष (₹)
1	स्वयं स्रोत	के. सी .सी. बैंक हरिपुर	20021004343	1172247
2	पांचवा वित्	के .सी. सी. बैंक हरिपुर	50051171021	286739
3	एम .पी. लेड	के .सी. सी. बैंक हरिपुर	50051171178	101588
4	वी. के .वी .एन. वाई	के .सी. सी. बैंक हरिपुर	50051171203	113971
5	एस. डी .पी	के. सी. सी. बैंक हरिपुर	50055766514	132775
6	आर. ए. वाई	के .सी. सी. बैंक हरिपुर	50055766489	4184
7	एम. एम. जी .पी. वाई	के. सी .सी. बैंक हरिपुर	50055766456	10869
8	टी. एस. सी.	के. सी .सी. बैंक हरिपुर	50051171190	00
9	14वां वितायोग	के. सी .सी. बैंक हरिपुर	50051171145	00
10	15वां वितायोग/ जेड.पी/ पी.एस	एच. डी. एफ. सी बैंक .देहरा	50100135795985	1969454.32
11	हस्तगत शेष(स्वःस्त्रोत की ऑनलाईन रोकड़ बही के अनुसार)			2390
	बैंक खातों व हस्तगत शेष का दिनांक 31.03.2024 का कुल योगः—			₹3794217.32

दिनांक 31.03.2024 को बैंक समाधान विवरणी :–	
रोकड़ बही के आधार पर तैयार वित्तीय स्थिति (पैरा 4) के अनुसार अन्तशेषः–	₹4217552.10
पंचायत के बैंक खातों/नकद का दिनांक 31.03.2024 का अन्तशेषः–	₹3794217.32
अन्तरः–	423334.78

नोटः– अंतर का कारण पंचायत द्वारा बैंक समाधान विवरणी तैयार न करना।

(ग) रोकड़ बही एवं बैंक खातों के शेषों का नियमानुसार मिलान न करने के कारण अंकेक्षण में राशि ₹4.23 लाख का बहुत ज्यादा अन्तर पाया जानाः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि, ग्राम पंचायत हरिपुर द्वारा हि॰ प्र॰ पंचायती राज (वित्त बजट लेखे संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 7(3) व 10(1) की अनुपालना में बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की गई थी, जिस कारण वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अन्त में दिनांक 31.03.2024 को ऑनलाईन रोकड़ बहियों तथा बैंक खातों के अन्ताशेष में राशि **₹4,23,334.78/-** का अन्तर रोकड़ बही में अधिक शेष के रूप में था। जिसका विस्तृत ब्यौरा पैरा–4 में दिया गया है। फलस्वरूप पंचायत के लेखें सच्ची एवं सही वित्तीय स्थिति नहीं दर्शाते हैं।

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/27 दिनांकः–16.01.2025 द्वारा सूचित किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–gph268 दिनांकः–18.01.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि बैंक समाधान विवरणी तैयार करके अन्तर का मिलान कर दिया जायेगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा, प्रस्तुत उतर नियमानुसार न होने एवं तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः अन्तर के कारणो बारे तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए अन्यथा अंतर की राशि की उचित स्त्रोत से वसूली करना सुनिश्चित की जाये तथा भविष्य में नियमानुसार प्रत्येक माह बैंक समाधान विवरणी तैयार करते हुये बैंक एवं रोकड़ बही का मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा कृत सुधारात्मक अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए।

(घ) लेखा खाता/खाताबही तैयार न करनाः–

हि॰ प्र॰ पंचायती राज (वित्त बजट लेखे ,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 29(1 से 3) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को प्रारूप–7 में लेखा खाता/खाता बही तैयार करने का प्रावधान है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 2022–23 व 2023–24 की खाताबही/लेखा खाते तैयार नहीं किए गए थे। उक्त अवधि की खाताबही/लेखा खाते तैयार न करने के कारण वर्तमान अंकेक्षण के दौरान चयनित मास के व्यय वाउचरों से इस तथ्य की पुष्टि सम्भव न हो सकी कि निम्न तालिका में दर्शाए गए कार्यो हेतु कितनी–कितनी राशि प्राप्त हुई व कितना व्यय हुआ था तथा निम्न कार्यो को पूरा किया जा चुका था अथवा नहीं:–

क्र0 सं0	अनुदान	वाउचर सं0/ दिनांक	बिल सं0,मस्ट्रोल सं0/दिनांक	कार्य का नाम	राशि (₹)
1	एस.डी.पी	01/23.05. 2022	054/18.05.2022	सुरक्षा दीवार धीरज कुमार की जमीन में वार्ड–2	36410
2	जेड.पी	02/18.05. 2022	17086/15.05.2022	निर्माण रास्ता गुरू रविदास मंदिर से गोरख राम के घर तक वार्ड–1	17765
3	जेड.पी	03/18.05. 2022	17100/15.05.2022	निर्माण रास्ता नजदीक घर फुला सिंह,गोरख राम, मदन कुमार वार्ड–1	9690
4	15वां वित	06/28.05. 2022	2096/21.05.2022	निर्माण रास्ता व पुली अरविंद कुमार व मदन लाल आदि के घरो तक वार्ड–4	22610
5	मनरेगा	निल/21. 05.2022, 27,30.06. 2023	21, 087,088,089,133/ 27.12.2021,27.02. 23,2.4.23,7.3.23	निर्माण पक्का रास्ता लिंक रोड से सुभाष प्रकाश आदि के घरो तक वार्ड–1	100250
6	मनरेगा	निल/21. 05.2022,30. 06.2023	0019111,079,090,0 91,092,209,212,213 ,214/09.03. 2022,18.02.23,15. 12.22,18.12.22,1.4. 23,7.1.23	निर्माण पक्का रास्ता अमर सिंह के घर से गगन सिंह इत्यादि के घरो तक वार्ड–7	129445

इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत द्वारा स्वः स्त्रोत व अनुदानो से प्राप्त की गई आय की भी लेखा खाता/खाता बही के अभाव में वास्तविक प्राप्तियों की अंकेक्षण में सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी, जोकि अनियमित तथा आपतिजनक है।

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्याः–राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/37 दिनांकः–18.01.2025 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या gph268 दिनांकः–18.01.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त अवधि की खाता बहियो/लेखा खातो को तैयार करने उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। प्रस्तुत उतर नियमानुसार न होने एवं तथ्यरहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः उक्त अवधि की खाताबही/लेखा खाते तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा अंकेक्षण अवधि की खाताबही/लेखा खाते तैयार करते हुए भविष्य में भी खाता बही/लेखा खाते तैयार किये जाने सुनिश्चित किये जाये व कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

5 निवेश न करने बारेः–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त ,बजट,लेखे,सकर्म,कराधान व भते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियो को पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव उपरान्त राष्ट्रीकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियो में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है कि इन पर अधिकतम ब्याज अर्जित किया जा सके।

ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना में अंकेक्षण अवधि के दौरान कोई निवेश नहीं किया गया था, जबकि वित्तीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के मुख्य निधि खाते में अंकेक्षणावधि के दौरान ₹12,22,808 से ₹11,72,247 तक की राशि शेष थी। इस चूक के कारण संसाधनो की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से वंचित होना पडा है।

इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना सख्यां राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/37 दिनांकः 18.01.2025 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या–gph268 दिनांक 18.01.2025 द्वारा भविष्य में अनुपालना का आश्वासन दिया है।

अतः इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा निवेश की स्थिति हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट,लेखे,सकर्म,कराधान व भते) नियम 2002 के नियम 12 (1) के अंतर्गत उल्लेखित प्रारूप–1 के अनुसार निवेश रजिस्टर का संधारण किया जाना भी सुनिश्चित किया जाये।

6 अनुदान की राशि ₹31.54 लाख का उपयोग हेतु शेष पाया जाना:–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार प्राप्त अनुदान राशियो को फंडिग एजेन्सी की अपेक्षाओं एवं मार्गदर्शन अनुसार निर्धारित उद्देश्य हेतु व्यय किया जाना अपेक्षित है।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या: राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2025/25 दिनांक:–13.01.2025 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत सूचना जो कि **परिशिष्ट–1 व परिशिष्ट–2** पर संलग्न है, के अनुसार दिनांक 31–03–2024 तक अनुदान में प्राप्त राशियों में से ₹31,53,898.60 की राशि उपयोग हेतु शेष थी:–

क्र0सं0	अनुदान का नाम	दिनांक	राशि (₹)
1	5वां वित	31.03.2024	519664
2	वी.के.वी.एन.वाई	31.03.2024	157316
3	एम.एम.जी.पी.वाई	31.03.2024	10699
4	टी.एस.सी	31.03.2024	108953
5	एस.डी.पी	31.03.2024	136552
6	एम.पी.लेड	31.03.2024	49508
7	आर.ए.वाई	31.03.2024	3947
8	14वाँ वित्त	31.03.2024	315207
9	15वाँ वित्त/पी.एस/जेड.पी	31.03.2024	1852052.60
		कुल जोड	**3153898.60**

उपरोक्त तथ्य स्पष्ट करते हैं कि उक्त शीर्षो के अन्तर्गत करवाये जा रहे विकास कार्यो का निष्पादन अपेक्षित स्थिति में नहीं है तथा निर्धारित विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में यह पंचायत पीछे है।

इस शेष राशि के उपयोग/व्यय न करने बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/28 दिनांक–16.01.2025 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र–gph268 दिनांक:–18.01.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि अनउपयोग अनुदान राशि को आगामी समय में व्यय करने उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा।

अतः शेष अनुदान राशि को अंकेक्षण अवधि के दौरान व्यय न करने के उचित कारणों को स्पष्ट करते हुए उक्त राशि को नियमानुसार निर्धारित उद्येश्यों हेतु व्यय करना सुनिश्चित किया जाए तथा तदानुसार कृत अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र अवगत करवाया जाये।

पंचायत राजस्व से प्राप्त आयः—

7 सम्पति कर/गृहकर की ₹0.27 लाख की राशि का वसूली हेतु शेष पाया जानाः—

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त,बजट,लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 34 (2) के अनुसार पंचायत को देय कोई भी राशि बिना पर्याप्त कारणो के परादेय/अदत(Outstanding) नहीं रखी जाएगी।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2025/25 दिनांकः—13.01.2025 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत **परिशिष्ट "4"** पर संलग्न सूचना के अनुसार सम्पत्तिकर/गृहकर के रूप में **₹27220/—** की राशि दिनांक 31.03.2024 को वसूली हेतु शेष थी। सम्पत्तिकर/गृहकर की राशि का बिना पर्याप्त कारणो के शेष पाया जाना यह स्पष्ट करता है कि पंचायत अपने राजस्व की नियमित उगाही के प्रति गंभीर नहीं है। परिणामस्वरूप सम्पत्ति कर/गृहकर की वसूली न करने से उस पर अर्जित ब्याज से होने वाले लाभ से भी पंचायत को वंचित होना पड़ा।

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2025/29 दिनांकः—16.01.2025 द्वारा सूचित किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः— gph268 दिनांकः—18.01.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि सम्पति कर/गृहकर की बकाया राशि की वसूली करने उपरान्त सभा निधि में जमा करवा दिया जाएगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। प्रत्युतर नियमानुसार व तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः पंचायत राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों की नियमानुसार तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की अविलम्ब वसूली करना सुनिश्चित करें तथा भविष्य में भी इसकी वसूली प्राथमिकता के आधार पर प्रतिवर्ष की जानी सुनिश्चित की जाए व कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

8.1 विवाह पंजीकरण के रूप में प्राप्त की गई राशि ₹0.10 लाख को सरकारी कोष/बैंक में जमा न करवा कर दुर्विनियोजन करने बारेः—

सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्या—SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांकः—04.10.2016 के अंतर्गत विवाह रजिस्ट्रेशन शुल्क निर्धारित

दर से प्राप्त करने के उपरान्त विवाह पंजीकरण नियम 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित प्राप्ति मुख्य शीर्ष खाता संख्या "0070–60–108–01" में जमा करवाया जाना अपेक्षित है।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0 /2025/25 दिनांकः–13.01.2025 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत **परिशिष्ट "5"** पर संलग्न सूचना अनुसार ग्राम पंचायत हरिपुर द्वारा वर्ष 2022–23 व 2023–24 के दौरान राशि ₹10400 विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त की गई ,परन्तु उसे न तो सरकारी कोष में और न ही पंचायत के निधि खाते में जमा करवाया गया था, जिससे कि सरकारी कोष में प्राप्त होने वाली आय के दुर्विनियोजन की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त उक्त राशि को सरकारी कोष/बैंक में जमा न करवाने का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/30 दिनांकः–16.01.2025 के अंतर्गत सचिव ग्राम पंचायत हरिपुर के ध्यानार्थ लाया गया, जिसके प्रतिउत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या– gph268 दिनांकः–18.01.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त की गई राशि को सरकारी कोष में जमा करवा दिया जाएगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त की गई राशि को नियमानुसार सरकारी कोष में जमा न करवाने का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अथवा अंकेक्षण को दिये गये आश्वासनानुसार विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि को शीघ्र अति शीघ्र सरकारी कोष जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा यह भी सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में भी विवाह पंजीकरण शुल्क प्राप्ति उपरांत सरकारी कोष में ही जमा करवाया जाये व कृत अपेक्षित अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

9.1 निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹1.25/– लाख के स्टॉक का क्रय करनाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) के अन्तर्गत पंचायत द्वारा किये जाने वाले व्यय से सम्बन्धित आपूर्ति आदेश ,निविदा आदि औपचारिकताएं प्रावधित है।

ग्राम पंचायत हरिपुर के व्यय वाउचरों के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा, संलग्न **परिशिष्ट "6"** के अनुसार ₹1,24,945/– का व्यय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया था जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है, जिससे स्पष्ट है कि पंचायत द्वारा उक्त व्यय करते समय बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ नहीं उठाया गया था।

उपरोक्त अनियमितत्ता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2025/33 दिनांकः—17.01.2025 द्वारा आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः— gph268 दिनांकः—18.01.2025 द्वारा सूचित किया गया कि भविष्य में औपचारिकताओं को पूर्ण करके ही सामान क्रय किया जायेगा, प्रस्तुत प्रत्युतर नियमानुकूल न होने व तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः इस अनियमितता बारे तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए इसे सक्षम प्राधिकारी की कार्योतर स्वीकृति से नियमित करवाया जाये तथा भविष्य में बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाते हुये नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

9.2 क्रय किये गये सामान राशि ₹11.81 लाख का स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्राप्ति व खपत से सम्बन्धित लेखांकन न होनाः—

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 72(1) (ए.बी.सी.डी.) के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय किये गए भंडार का उसकी स्थायी व अस्थायी प्रकृति के अनुरूप प्रारूप 25, 26, 27 व 28 में लेखांकन किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत हरिपुर के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 तक के दौरान की गई खरीद के वाउचरो के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा संलग्न **परिशिष्ट—"6"** पर संकलित राशि ₹11,80,913/— के स्टॉक को क्रय उपरान्त स्टाक रजिस्टरो में दर्ज नहीं किया गया था, जिससे कृत व्यय का पूर्ण अंकेक्षण संभव न हो सका।

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2025/34 दिनांकः—17.01.2025 द्वारा आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः— gph268 दिनांकः—18.01.2025 द्वारा अवगत करवाया गया कि सामग्री का स्टाक रजिस्टर में इन्द्राज कर लिया जायेगा, प्रस्तुत उतर तथ्य रहित एवं नियम प्रावधानो के प्रतिकूल होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः क्रय किये गये प्रत्येक सामान का मदवार पारदर्शी इन्द्राज किया जाना सुनिश्चित किया जाए व भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता की पुनरावृति को रोका जाये तथा कृत सुधारात्मक कार्यवाही से अंकेक्षण को शीघ्रातिशीघ्र अवगत करवाया जाये।

9.3 खनन सामग्री बिलों के साथ वैध ट्रांजिट पास फॉर्म "X" या "W" की प्राप्ति सुनिश्चित न करने के कारण राशि ₹5.73 लाख का अनियमित भुगतान करने बारेः–

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल नियम 2015 के नियम 81 व 81–ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास फॉर्म डब्लयू या सप्लीमेंटरी पास फॉर्म X उपलब्ध करवाना अनिवार्य है। अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निर्धारित दरो से रॉयल्टी का भुगतान 25 प्रतिशत पेनल्टी के साथ करना होगा,परन्तु निदेशक ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग शिमला के पत्र संख्या XEN-(RD&PR)-DB-General/2023-1/204192/2023-34307-30 दिनांक 02.11.2023 के अंतर्गत पुनः दिये गये निर्देशानुसार संविदाकारों/आपूर्तिकर्ताओं से माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के दृष्टिगत अब रॉयल्टी नहीं काटी जा सकती तथा इन्हे भुगतान केवल वैध ट्रांजिट पास फॉर्म "X" या "W" जमा/उपलब्ध करवाने उपरान्त ही किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण अवधि के चयनित मासो के व्यय वाउचरो के अंकेक्षण व पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत **परिशिष्ट "7"** पर संलग्न सूचना के अनुसार निर्माण कार्यो के निष्पादन हेतु आपूर्तिकर्ताओं से खनन सामग्री जैसे रेत, बजरी, पत्थर इत्यादि की वैध स्त्रोत से आपूर्ति के समर्थन में उक्त ट्रांजिट पास फॉर्म अंकेक्षण में प्रस्तुत नही किए गए। परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता को ₹5,72,835/– का अनियमित भुगतान किया गया एवं पूर्वोक्त नियम, प्रावधानों एवं समय –समय पर जारी आदेशों व निर्देशों की स्पष्ट अवहेलना के दृष्टिगत अंकेक्षण अवधि में किये गए समस्त भुगतान अनियमित प्रतीत होते है।

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/35 दिनांकः–18.01.2025 द्वारा आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–gph268 दिनांकः–18.01.2025 द्वारा सूचित किया गया कि उक्त व्यय वैध टांजिट पास फॉर्म "X" या "W" प्राप्त किये बिना ही किया गया है व उक्त व्यय जानकारी के अभाव में किया गया है। वर्तमान समय से उक्त फॉर्म प्राप्त करने उपरान्त ही भुगतान किया जा रहा है ,प्रस्तुत उत्तर अंकेक्षणापति के अनुकूल न होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया। क्योंकि उपरोक्त पत्र में वर्णित निर्देशानुसार समस्त भुगतान वैध ट्रांजिट पास फॉर्म "X" या "W" प्राप्ति उपरान्त किये जाने थे।

अतः अंकेक्षण अवधि के दौरान खनन निर्माण सामग्री के आपूर्तिकर्ताओं को नियमो के विरूद्ध एवं समय–2 पर जारी निर्देशों के विरूद्ध किये गये समस्त अनियमित भुगतानो को (उनके पूर्ण विवरण सहित) या तो समर्थित अपेक्षित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अथवा ऐसे सभी प्रकरणों को संबंधित जिला खनन अधिकारी के समक्ष उठाते हुए तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

10 निर्माण कार्यो के सन्दर्भ में राशि ₹14.67 लाख के अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत न करने बारेः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भते) नियम 2002 के नियम 79(2) के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण अवधि के चयनित मास 05/2022 व 06/2023 के व्यय वाउचरो के अंकेक्षण पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा निम्न तालिका के अनुसार राशि ₹1466905/–का भुगतान किया गया था, परन्तु निम्न निर्माण कार्यो के सन्दर्भ में अंकेक्षण हेतु वांछित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं कियें गए, जिसके अभाव मे किये गये व्यय का पूर्ण अंकेक्षण संभव न हो सकाः–

क्र0सं0 व अनुदान	वाउचर सं0/ दिनांक	बिल संख्या/ दिनांक	कार्य का नाम	भुगतान राशि (₹)	वांछित अभिलेख
1.एस.डी.पी	01/23.05.2022	054/ 18.05.2022	सुरक्षा दीवार धीरज कुमार की जमीन में वार्ड–2	36410	स्वीकृति पत्र,माप पुस्तिका,34–सी
2.जेड.पी	02/18.05.2022	17086/ 15.05.2022	निर्माण रास्ता गुरू रविदास मंदिर से गोरख राम के घर तक वार्ड–1	17765	प्रस्ताव,स्वीकृति पत्र, प्राक्कलन, माप पुस्तिका 34–सी
3.जेड.पी	03/18.05.2022	17100/ 15.05.2022	निर्माण रास्ता नजदीक घर फुला सिंह,गोरख राम, मदन कुमार वार्ड–1	9690	प्रस्ताव,स्वीकृति पत्र,प्राक्कलन , माप पुस्तिका 34–सी
4.15वां वित	04/23.05.2022	2096/ 21.05.2022	निर्माण रास्ता सुरजीत आदि के	8721	माप पुस्तिका, 34–सी

			घर से कुआं तक वार्ड–1		
5.15वां वित	05 / 28.05.2022	2096 / 21.05.2022	पुनः नव निर्माण चंजयी बाबडी में वार्ड–1	10982	माप पुस्तिका, 34–सी
6.15वां वित	06 / 28.05.2022	2096 / 21.05.2022	निर्माण रास्ता व पुली अरविंद कुमार व मदन लाल आदि के घरो तक वार्ड–4	22610	माप पुस्तिका, 34–सी
7.मनरेगा	निल / 04.05. 2022,20.05.2022	मस्ट्रोल 326,741	उन्मूलन लनटाना ग्रास रा.व.मा. पाठशाला हरिपुर वार्ड–6	27772	प्रस्ताव,स्वीकृति पत्र,प्राक्कलन , माप पुस्तिका 34–सी
8.मनरेगा	निल / 04.05. 2022,20.05.2022	मस्ट्रोल 327,742	लैण्ड लेवलिंग व पौधारोपण कुलदीप कुमार की जमीन में वार्ड–7	28196	प्रस्ताव,स्वीकृति पत्र, प्राक्कलन , माप पुस्तिका 34–सी
9.मनरेगा	निल / 04.05. 2022,20.05.2022	मस्ट्रोल 328,743	लैण्ड लेवलिंग जगत राम की जमीन में वार्ड–6	27984	प्रस्ताव,स्वीकृति पत्र,प्राक्कलन , माप पुस्तिका 34–सी
10.मनरेगा	निल / 06.05. 2022,20.05.2022	मस्ट्रोल 329,744	लैण्ड लेवलिंग व पौधारोपण प्रवीन कुमार ,जगमोहन,साधु राम की जमीन में वार्ड–1	28408	प्रस्ताव,स्वीकृति पत्र, माप पुस्तिका 34–सी
11.मनरेगा	निल / 06.05. 2022,20.05.2022	मस्ट्रोल 330,745	लैण्ड लेवलिंग व पौधारोपण विजय कुमार ,बाबु राम	30104	प्रस्ताव,स्वीकृति पत्र, माप पुस्तिका 34–सी

			की जमीन में वार्ड–5		
12.मनरेगा	निल / 06.05. 2022,20.05. 2022,27.06.23	मस्ट्रोल 614,615,746, 747,113,114, 115 / 24.12.22	निर्माण मैंगों तालाव नजदीक संतोष कुमार इत्यादि जमीन वार्ड–1	127100	प्राक्कलन,माप पुस्तिका, 34–सी
13.मनरेगा	निल / 21.05.2022	159 / निल	कम्पलीशन सुरक्षा दीवार नजदीक शिव मंदिर चन्द्रा हरिपुर वार्ड–3	96100	प्रस्ताव,माप पुस्तिका, 34–सी
14.मनरेगा	निल / 21.05. 2022	161 / निल	निर्माण सुरक्षा दीवार आदर्श सुद की जमीन में	3800	प्रस्ताव,माप पुस्तिका, 34–सी
15.मनरेगा	निल / 21.05. 2022	009,163 / निल	निर्माण रास्ता निर्मल कान्ता के घर से कुएं तक वार्ड–2	72375	प्रस्ताव,माप पुस्तिका, 34–सी
16.मनरेगा	निल / 21.05. 2022, 27,30.06. 2023	21, 087,088,089, 133 / 27.12. 2021,27.02. 23,2.4.23, 7.3.23	निर्माण पक्का रास्ता लिंक रोड से सुभाष प्रकाश आदि के घरो तक वार्ड–1	100250	प्रस्ताव,माप पुस्तिका, 34–सी
17.मनरेगा	निल / 21.05. 2022	0019121 / 09 .03.2022	निर्माण पक्का रास्ता विवेक के घर से शमशेर सिंह के घर तक वार्ड–1	38760	प्रस्ताव,माप पुस्तिका, 34–सी
18.मनरेगा	निल / 21.05. 2022	010,0162 / निल	निर्माण रास्ता अशोक कुमार	25375	प्रस्ताव,माप पुस्तिका, 34–सी

			जालान्द्रु के घर से सुरू बलराज के घर तक		
19.मनरेगा	निल / 21.05. 2022,30.06.2023	020,97,124 / 27.12. 2021,07.01. 23,17.03.23	निर्माण पक्का रास्ता लिंक रोड से प्रदीप इत्यादि के घर तक वार्ड–7	72920	प्रस्ताव, माप पुस्तिका 34–सी
20.मनरेगा	निल / 21.05. 2022,30.06.2023	0019111,079, 090,091,092, 209,212,213, 214 / 09.03. 2022,18.02. 23,15.12. 22,18.12. 22,1.4.23, 7.1.23	निर्माण पक्का रास्ता अमर सिंह के घर से गगन सिंह इत्यादि के घरो तक वार्ड–7	129445	प्रस्ताव, माप पुस्तिका 34–सी
21.मनरेगा	निल / 21.05. 2022	022,082,103, 104 / 17.12. 2021,15.12. 22,7.1.23	निर्माण पक्का रास्ता देश राज के घर से मुकेश के घर तक वार्ड–2	62330	प्रस्ताव, माप पुस्तिका 34–सी
22.मनरेगा	निल / 21.05. 2022	019 / 27.12.2021	निर्माण पक्का रास्ता सुनीता देवी के घर से लाल चन्द के घर तक वार्ड–5	35530	प्रस्ताव, माप पुस्तिका 34–सी
23.मनरेगा	निल / 21.05. 2022,27.6.23,30. 6.23	023,107,108, 210,215,216, 217,093,094 / 17.12. 2021,7.1.	निर्माण पक्का रास्ता प्रीतम के घर से रविदास मंदिर तक वार्ड–1	153250	प्रस्ताव, माप पुस्तिका 34–सी

		23,18.12.22			
24.मनरेगा	निल / 21.05. 2022,30.06.23	024,003,117, 118 / 19.01. 2022,27.2.23	निर्माण रास्ता टाईल युक्त सर्वा कम्पयूटर से मेन रोड तक वार्ड–3	66150	प्रस्ताव, माप पुस्तिका 34–सी
25.मनरेगा	निल / 21.05. 2022,30,6,243	0012633,004, 119,120 / 09. 03.2022, 27.2.23	निर्माण रास्ता टाईल युक्त वरूण की दुकान से मेन रोड तक वार्ड–3	91550	प्रस्ताव, माप पुस्तिका 34–सी
26.मनरेगा	निल / 21.05. 2022,30.06.23	0019115,116 / 19.01. 2022,27.2.23	निर्माण रास्ता टाईल युक्त मेन रोड सुनील चाट भण्डार से लेकर शिव मदिर तक वार्ड–3	45130	प्रस्ताव, माप पुस्तिका 34–सी
27.मनरेगा	निल / 05.06.2023	मस्ट्रोल –788, 1096	निर्माण लिंक रोड दिनडोशी माता मंदिर सरकारी डिग्री कॉलेज हरिपुर से बाजार वार्ड–5	19019	प्रस्ताव,स्वीकृति पत्र,प्राक्कलन , माप पुस्तिका 34–सी
28.मनरेगा	निल / 27.06.2023	074 / 20.08. 2022	निर्माण नालियां राम चन्दर मुहल्ला वार्ड–3	18760	प्रस्ताव, माप पुस्तिका 34–सी
29.मनरेगा	निल / 30.06.2023	132 / 27.03.2023	निर्माण रास्ता हैण्ड पम्प से लेकर बाबु राम और मान सिंह के घर तक वार्ड–3	30280	प्रस्ताव, माप पुस्तिका 34–सी
30.मनरेगा	निल / 28.06.2023	153 / 01.01.23	निर्माण गउशाला सजंय कुमार की	11500	प्रस्ताव, माप पुस्तिका 34–सी

			जमीन में		
31.मनरेगा	निल/ 30.06.2023	073/ 07.01.23	निर्माण वाटर टैंक अलकुश महाजन की जमीन में	18640	प्रस्ताव, माप पुस्तिका 34–सी
			कुल योग	**1466906**	

वांछित अभिलेखो को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने बारे सचिव ग्राम पंचायत हरिपुर से अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/32 दिनांकः–17.01.2025 द्वारा आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः– gph268 दिनांक 18.01.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि माप–पुस्तिकाओं व अन्य अभिलेखो को आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जाएगा, प्रस्तुत प्रत्युतर नियमों के प्रतिकूल व तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः सचिव द्वारा उपरोक्त अभिलेखो को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना एक गम्भीर अनियमितता है, जिसका औचित्य उक्त वर्णित नियमानुसार तथ्यो सहित स्पष्ट किया जाये व नियमानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही सहित अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

11 राशि ₹1.34 लाख के बिल/वाउचर प्रस्तुत न करने बारेः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भते) नियम 2002 के नियम 79(2) के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत किये जाने अपेक्षित है।

अंकेक्षण अवधि के चयनित मास 05/2022 व 06/2023 के व्यय के अंकेक्षण पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा निम्न तालिका के अनुसार राशि **₹133705**/–का भुगतान किया दर्शाया गया था, जिसके बिल/वाउचरो को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया, फलस्वरूप कृत व्यय का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सका। यह एक गम्भीर वितीय अनियमितता हैः–

क्र0सं0	**मद/अनुदान**	**वाउचर सं/दिनांक**	**विवरण**	**रोकड़ बही पृष्ठ संख्या**	**राशि ₹**
1.	वी.के.वी.वाई. एन	1/11.05.2022	सीमेंट भुगतान	निल	4845
2.	एस.डी.पी	3/9.6.23	सीमेंट भुगतान	निल	128860
				कुल	133705

उक्त बिल/वाउचर को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने बारे पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/36 दिनांकः—18.01.2025 द्वारा आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः—gph268 दिनांकः—18.01.2025 द्वारा सूचित किया गया कि उक्त बिल/वाउचरो को आगामी अंकेक्षण मे प्रस्तुत कर दिया जाएगा, प्रस्तुत प्रत्युतर तथ्यरहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः उक्त बिल/वाउचर दिखाए जाने सुनिश्चित किये जाए अन्यथा भुगतान की गई राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करके संबंधित शीर्ष के खाते में जमा की जानी सुनिश्चित की जाए व कृत सुधारात्मक कार्रवाई से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

12 राशि ₹15.15 लाख की अनुचित/असमर्थित/समायोजित व्यय प्रविष्टियां (Adjustment voucher) करने बारे :—

हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भते) नियम 2002 के नियम 10(1) के अनुसार ग्राम पंचायत के बैंक खातो में से प्रत्येक निकासी की तत्काल रोकडबही में प्राप्ति की ओर व जमा की अदायगी की ओर प्रविष्टि दर्ज की जाएगी तथा उसकी बैंक पास बुक उचित प्रेषण व निकासी प्रविष्टियों सहित अनुरक्षित की जाएगी।

ग्राम पंचायत की ऑनलाईन रोकड बहियो के अवलोकन पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न अनुदानो के अंतर्गत निम्नविवरणानुसार राशि ₹1514618/— की समायोजित /हस्तांतरण प्रविष्टियां (Adjustment/Transfer voucher) व्यय के रूप में की गई दर्शाई गई थी। जिसके समर्थन में कोई बिल/वाउचर भी अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया तथा न ही संबंधित प्रविष्टियां बैंक पासबुक में पाई गई, जोकि एक गम्भीर अनियमितता है व आपतिजनक भी है:—

क्र0सं0	अनुदान	वाउचर सं/दिनांक	आय/व्यय	विवरण	रोकड़ बही पृष्ठ संख्या	राशि (₹)
1	सभा निधि	पी/18/31.03.2023	व्यय	Various works	निल	3084
2	वी.के.वी.वाई.एन	पी/4/29.03.2023	व्यय	Various works	निल	75813
3	एस.डी.पी	पी/6/29.03.2023	व्यय	Various works	निल	80128
4	14वां वित	पी/3/23.05.2022	व्यय	Various works	निल	507076
5	वी.के.वी.	पी/2/23.05.	व्यय	—	निल	4845

	वाई.एन	2022				
6	14वां वित	पी/5/30.03.2023	व्यय	Various works	निल	843672
कुल योग						1514618

इस प्रकरण को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/31 दिनांकः–17.01.2024 के अंतर्गत सचिव ग्राम पंचायत हरिपुर के ध्यानार्थ लाया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः– ghp268 दिनांकः–18.01.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त समायोजित/हस्तांतरण प्रविष्टियों बारे अभिलेखो की जांच पडताल करने व विभाग के उच्चाधिकारियों से चर्चा करने उपरांत अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा, प्रस्तुत प्रत्युतर तथ्यरहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः इस अनियमितता बारे तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करने उपरान्त संबंधित शीर्ष के बैंक खातें में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए तथा इस मामले की विभागीय स्तर पर भी जांच की जायें व कृत अपेक्षित सुधारात्मक कार्यवाही से अंकेक्षण को शीघ्रातिशीघ्र अवगत करवाया जाये।

13. संयुक्त हस्ताक्षर के बिना ही ₹14.83/– लाख का अनियमित भुगतान करनाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 49(1 तथा 2) के प्रावधानों के अनुसार पंचायत द्वारा कोई भी भुगतान तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि सम्बन्धित बिल/वाउचर पर पंचायत प्रधान व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षरों से भुगतान आदेश नियमानुसार पारित न किया गया हो।

अंकेक्षण अवधि के चयनित मास 05/2022 व 06/2023 के व्यय वाउचरो के अंकेक्षण में पाया गया कि वाउचरो पर केवल प्रधान के हस्ताक्षर ही करवाये गए थे। परिणामस्वरूप ग्राम पंचायत द्वारा प्रधान व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर के बिना ही ₹1483451/– का भुगतान किया गया था, जोकि अनियमित व आपतिजनक है तथा उक्त नियम की स्पष्ट अवहेलना है।

इस अनियमितता को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/37 दिनांकः–18.01.2025 के अंतर्गत सचिव ग्राम पंचायत हरिपुर के ध्यानार्थ लाया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–gph268 दिनांकः–18.01.2025 द्वारा सूचित किया गया कि वतर्मान समय से संयुक्त हस्ताक्षरो द्वारा ही भुगतान किया जा रहा है, प्रस्तुत उत्तर उपरोक्त नियमानुसार न होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः नियमो के विरूद्ध किये गये भुगतानो को पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर कृत सुधारात्मक कार्यवाही से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

14. निर्माण कार्यो से सम्बन्धित विसंगतियां:–

निर्माण कार्यों से सम्बन्धित वाउचर नस्तियों में उपलब्ध बिल/वाउचरों की नमूना अंकेक्षण उपरान्त तथा पैरा संख्या "10" के अंतर्गत दिखाये गये व्यय के अनुसार निर्माण कार्यों के सन्दर्भ में पाया गया कि निर्माण कार्य निष्पादन हेतु हि•प्र• पंचायती राज (वित्त बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 में प्रावधित नियमों की अनुपालना नहीं की जा रही है। इन बिलों में निम्नलिखित विसंगतियां पाई गई हैं:–

1.निर्माण सामग्री के आपूर्ती बिलों को कनिष्ठ अभियन्ता/तकनीकी सहायक द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था जिसके कारण किये गये भुगतान की प्रमाणिकता संदिग्ध हो जाती है।

2.ग्राम पंचायत द्वारा करवाये विभिन्न निर्माण कार्यो के प्ररूप–34 , जिसमें कि कार्य का पूर्ण आय–व्यय ब्यौरा शामिल होता है ,उन्हे भी अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे कि किसी व्यक्तिगत कार्य में प्रयुक्त सामग्री व लेबर पर किये गए कुल व्यय की स्थिति सन्देहास्पद हो जाती है।

इन अनियमितताओ बारे अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक :राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2020/37 दिनांकः–18.01.2025 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत हरिपुर को अवगत करवाया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–gph268 दिनांकः–18.01.2025 द्वारा सूचित किया गया कि उपरोक्त अनियमितताओं बारे नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी तथा अंकेक्षण अवधि के दौरान करवाये गये विभिन्न निर्माण कार्यो के प्रपत्र–34 को भी तैयार करने उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः उपरोक्त नियमों की अवहेलना किये जाने बारे पूर्ण तथ्यो सहित उचित स्पष्टीकरण के अतिरिक्त भविष्य हेतु नियमानुसार कार्य करना सुनिश्चित किया जाये तथा कृत सुधारात्मक कार्यवाही से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

15 नियमों की अवहेलना करते हुए महत्वपूर्ण अभिलेखो का अनुरक्षण न करना:–

हि• प्र• पंचायती राज (वित्त बजट लेखे ,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 व हि•प्र• पंचायती राज सामान्य नियम 1997 के नियम 34 के अंतर्गत प्रावधित महत्वपूर्ण अभिलेख/रजिस्टरों का अनुरक्षण किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/25 दिनांकः 13.01.2025 के क्रमांक 9 में मांगी गई जानकारी के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–gph268 दिनांकः–18.01.2025 द्वारा दी गई सूचना तथा पंचायत के लेखों के नमूना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्न रजिस्टर/अभिलेखो का पंचायत द्वारा अनुरक्षण नहीं किया गया था अथवा अनुरक्षण में नियमों की अवहेलना की गई थी, जिससे कि लेखांकन प्रकिया में पूर्णता एवं पारदर्शिता के अभाव में किसी भी स्तर पर धन एवं सामग्री के दुरूपयोग की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:–

क्र0	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	सन्दर्भित नियम
1.	निवेश रजिस्टर	01	12
2.	क्लासीफाइड ऐबस्ट्रैक्ट	8	29(4)
3.	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	09	30
4	मासिक बैंक समाधान विवरणी	——	7(3) एवं 10(1) तथा "प्रारूप–5" के आरम्भ में दी गई टिप्पणी
5	वार्षिक बजट नियमों की अवहेलना करते हुये पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में ही दर्ज किया गया है।	11	37
6	अनुदान रजिस्टर	8	34
7	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
8	निर्माण कार्य रजिस्टर	……..	103
9	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72 (1) ए बी
10	लेखन सामग्री रजिस्टर	28	72 (1)डी
11	निर्माण कार्यों की खण्ड विकास अधिकारी से प्राप्त तकनीकी स्वीकृतियों का रजिस्टर	31	95(1)
12	विकास कार्यों का निष्पादन रजि0	07	34
13	माप–पुस्तिका रजिस्टर	……..	101(2)v
14	पंचायत प्रतिनिधियों एवं सहायक कर्मचारियों को दिये जाने वाले मानदेय/वेतन का रजिस्टर	……..	…………

उपरोक्त महत्वपूर्ण अभिलेख को अनुरक्षित न किए जाने अथवा अनुरक्षण में नियमों की पूर्ण पालना न करने बारे वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाने के अतिरिक्त अब प्राथमिकता के आधार पर इन अभिलेखो का अनुरक्षण किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

16. भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना:–

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम **73** के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा नियमानुसार कभी भी भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था। जिसके बिना वाउचर/बिल विशेष के तहत खरीदी गई सामग्री की भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सका। अतः समय–समय पर स्टोर/स्टोक का प्रत्यक्ष सत्यापन न होने से सामग्री विशेष के दुरूपयोग की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। यह एक गंभीर अनियमितता है।

इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/25 दिनांकः–13.1.2025 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–gph268 दिनांकः–18.01.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि भविष्य में भौतिक सत्यापन करवा लिया जायेगा, प्रस्तुत प्रत्युतर नियमानुकूल न होने एवं तथ्य रहित होने के कारण तर्कसंगत नही पाया गया।

अतः इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर सुधारात्मक अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

अन्य विविध अंकेक्षण आपतियां:–

17.1 रसीद बुको का स्टॉक नियमानुसार न रखा जाना:–

रसीद बुको के स्टॉक के अंकेक्षण में पाया गया कि इसे हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त,बजट,लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 5 (5) के प्रावधानो के अनुसार नहीं रखा जा रहा है। इस नियम के अनुसार जिला पंचायत अधिकारी से प्राप्त खाली रसीद बुको का अभिलेखन सामान्य स्टॉक रजिस्टर से अलग हि0प्र0 पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997 के नियम 34 में प्रावधित फॉर्म–2 में रसीदो के स्टॉक रजिस्टर में रखा जायेगा।

इसके अतिरिक्त हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त,बजट,लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 13 (5) के अनुसार पंचायत सचिव का यह वैधानिक दायित्व है कि वह जिला पंचायत अधिकारी द्वारा प्राधिकृत/खाली रसीदो को प्राप्त करते समय तथा उपयोग हेतु जारी करने का अभिलेख प्रारूप–4 के अनुसार बनाए गये स्टॉक रजिस्टर में रखे। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान इस प्रकार का कोई अभिलेख तैयार नहीं किया गया। जिस कारण से अंकेक्षण अवधि के दौरान खरीदी गयी तथा प्रयोग की गई रसीदो का न तो संकलित विवरण तैयार किया जा सका तथा न ही अंकेक्षण संभव हो पाया है। इसके अतिरिक्त अंकेक्षण अवधि के

दौरान लेखांकित की गई आय भी रसीदो के अभिलेख के अभाव में संदिग्ध हो जाती है। अतः इस अनियमितता के बारे में तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के अतिरिक्त इस अवधि के दौरान खरीदी गई रसीदो का अभिलेख पंचायत अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त करके इनके प्रयोग का विवरण तैयार करना सुनिश्चित किया जाये तथा कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

17.2 वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित न होनाः—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(1) के अनरूप लेखों का रख रखाव ग्राम पंचायत हरिपुर द्वारा नहीं किया गया था। जबकि उक्त नियम के अनुसार प्रत्येक वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित करना अनिवार्य है जिस प्रस्ताव के अन्तर्गत ग्राम पंचायत द्वारा व्यय करने हेतु प्राधिकृत किया गया था। ग्राम पंचायत हरिपुर के चयनित मासो 05/2022 व 06/2023 के विभिन्न अनुदानो के व्यय वाउचरों की नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि व्यय वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक उल्लेखित नहीं थे।

इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/37 दिनांकः—18.01.2025 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः—gph268 दिनांकः—18.01.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि वर्तमान समय से वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित करने उपरान्त ही भुगतान किया जा रहा है।

अतः भविष्य में प्रत्येक वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित करने उपरान्त ही भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

17.3 वाउचर नम्बरों का न लगाया जानाः—

हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 7(1) के अनुसार वाउचरो पर वाउचर क्रमांक लगाया जाना अपेक्षित है।

वाउचर नस्तियों के अंकेक्षण में पाया गया कि अवधि 2022—23 व 2023—24 में चयनित मासो 05/2022 व 06/2023 के व्यय वाउचरों में वाउचर क्रमांक नहीं लगाए गए थे। जोकि उक्त प्रावधानों की स्पष्ट अवहेलना है तथा उचित वाउचर क्रमांक के अभाव में अंकेक्षण में भी दिक्कतें आई हैं। अतः इस अनियमितता तथा नियमों की अवहेलना के बारे में तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करने के अतिरिक्त भविष्य में नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

17.4 गत अंकेक्षण अवधि/वितीय स्थिति के अंतशेषो व प्रस्तुत ऑनलाईल रोकड़ बहियों के अथशेषों में राशि ₹3.04 लाख के अंतर बारे:–

ऑनलाईल रोकड बहियों के अंकेक्षण व पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत **परिशिष्ट–8** के अनुसार ग्राम पंचायत के गत अंकेक्षण अवधि/वितीय स्थिति के अंतशेषो तथा वर्तमान अंकेक्षण अवधि की ऑनलाईल स्कीम वाईज रोकड बहियों के दिनांक 01.04.2022 के अथशेषो में निम्नविवरणानुसार राशि ₹303518.40 का अंतर पाया गया। इस प्रकार से ग्राम पंचायत द्वारा रोकड बहियों का ऑनलाईन माध्यम से मिलान न करना नियमों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित है:–

क्रमांक	दिनांक 01.04.2022 को गत अंकेक्षण के अनुसार अथशेषो का कुल योग	दिनांक 01.04.2022 को प्रस्तुत ऑनलाईन रोकड बहियों के अनुसार नकद शेष सहित अथशेषो का कुल योग	अंतर
1	3867101.60	4170620.00	303518.40

इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक:राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/39 दिनांक:–18.01.2025 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या:–gph268 दिनांक:–18.01.2025 द्वारा सूचित किया गया कि उक्त राशि के अंतर बारे विभाग के उच्चाधिकारियों व अभिलेखों की जांच पडताल करने उपरांत आगामी अंकेक्षण में अवगत करवा दिया जाएगा।

अत: वर्णित अनियमितता का पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए इसका मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा भविष्य हेतु भी यह सुझाव दिया जाता है कि ऑनलाईन माध्यम से रोकड बहियों का रख–रखाव उचित तरीके से किया जाये व कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

18 लघु आपति विवरणिका:– लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा करके लघु विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई।

19 **निष्कर्षः**— लेखों के रख रखाव में हि॰ प्र॰ पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियमों व अन्य दिशा–निर्देशों की पूर्णतः अनुपालना नहीं की जा रही है, जिस कारण से लेखों के रख–रखाव में सुधार हेतु कड़े कदम उठाये जाने की आवश्यकता है।

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009

19 MAR 2025 का०/प्रति०
1682 — 1686

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(2)344/2023–खण्ड–1 दिनॉक, शिमला–09,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सभी सम्बन्धित को एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2. उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी कॉंगड़ा, जिला कॉंगड़ा, हि0प्र0।
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड देहरा, जिला कॉंगड़ा (हि0प्र0)।
5. पंजीकृत — सचिव, ग्राम पंचायत हरिपुर, विकास खण्ड देहरा, जिला कॉंगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009

का०/प्रति०

ANNEXURE -1 (पैरा संख्या 4 ·1(क))

FINANCIAL POSITION OF GP HARIPUR BLOCK DEHRA DISTT. KANGRA (HP)-176028 FOR THE YEAR 2022-23 & 2023-24

1 OWN SOURCES

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2022-23	1222795.00	123833.00	1346628.00	302621.50	1044006.50
2023-24	1044006.50	85333.00	1129339.50	65686.00	1063653.50

2 GRANTS-IN-AID

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2022-23	2644306.60	3804611.00	6448917.60	2873182.00	3575735.60
2023-24	3575735.60	1913827.00	5489562.60	2335664.00	3153898.60

पंचायत सचिव
पंचायत सामुदायिक केन्द्र
विकास खण्ड देहरा (कांगड़ा)

हस्ताक्षर
निरीक्षक

ANNEXURE -2 (पैरा संख्या -"6")

FINANCIAL POSITION OF GRANTS- IN- AID OF GP.HARIPUR BLOCK DEHRA DISTT. KANGRA(H.P)FOR THE YEAR 2022-23 & 2023-24

SR.NO	PARTICULARS	YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
1	5TH SFC	2022-23	198690.00	278212.00	476902.00	0.00	476902.00
		2023-24	476902.00	238244.00	715146.00	195482.00	519664.00
2	VKVNY	2022-23	66541.00	120000.00	186541.00	11725.00	174816.00
		2023-24	174816.00	0.00	174816.00	17500.00	157316.00
3	MMGPY	2022-23	10255.00	444.00	10699.00	0.00	10699.00
		2023-24	10699.00	0.00	10699.00	0.00	10699.00
4	TSC	2022-23	108953.00	0.00	108953.00	0.00	108953.00
		2023-24	108953.00	0.00	108953.00	0.00	108953.00
5	SDP	2022-23	138601.00	250000.00	388601.00	221060.00	167541.00
		2023-24	167541.00	145000.00	312541.00	175989.00	136552.00
6	MPLAD	2022-23	65833.00	1915.00	67748.00	0.00	67748.00
		2023-24	67748.00	0.00	67748.00	18240.00	49508.00
7	RAY	2022-23	3947.00	0.00	3947.00	0.00	3947.00
		2023-24	3947.00	0.00	3947.00	0.00	3947.00
8	14TH FC	2022-23	425100.00	0.00	425100.00	109893.00	315207.00
		2023-24	315207.00	0.00	315207.00	0.00	315207.00
9	15TH FC/ZP/PS	2022-23	1626386.60	1465970.00	3092356.60	842434.00	2249922.60
		2023-24	2249922.60	302287.00	2552209.60	700157.00	1852052.60
10	MGNREGA	2022-23	0.00	1688070.00	1688070.00	1688070.00	0.00
		2023-24	0.00	1228296.00	1228296.00	1228296.00	0.00

पंचायत सचिव
पंचायत सामुदायिक केन्द्र
विकास खण्ड देहरा

परिशिष्ट -03 (पैरा संख्या – 4.1(ख)

कार्यालय ग्राम पंचायत हरिपुर विकास खंड देहरा जिला काँगड़ा हि.प्र.176028

बैंक प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत हरिपुर के दिनांक 01-04-2022 व 01-03-2024 को बैंक शेष:-

क्र.सं.	अनुदान	बैंक	खाता सं.	बैंक शेष 01-04-2022 को	बैंक शेष 31- 03 - 2024 को
01	स्वयं सत्रोत	के. सी .सी. बैंक हरिपुर	20021004343	1222808	1172247
02	पांचवा वित्	के .सी. सी. बैंक हरिपुर	50051171021	198690	286739
03	एम .पी. लेड	के .सी. सी. बैंक हरिपुर	50051171178	65833	101588
04	वी. के .वी .एन. वाई	के .सी. सी. बैंक हरिपुर	50051171203	66541	113971
05	एस. डी .पी	के. सी. सी. बैंक हरिपुर	50055766514	138601	132775
06	आर. ए. वाई	के .सी. सी. बैंक हरिपुर	50055766489	3947	4184
07	एम. एम. जी .पी. वाई	के. सी .सी. बैंक हरिपुर	50055766456	10255	10869
08	टी. एस. सी.	के. सी .सी. बैंक हरिपुर	50051171190	108953	00
09	14वां वितायोग	के. सी .सी. बैंक हरिपुर	50051171145	425100	00
10	15 वां वितायोग	एच. डी. एफ. सी बैंक .देहरा	50100135795985	1626386	1969454.32
11	हस्त गत शेष दिनांक 31.03.2024 को (स्व सत्रोत की ऑनलाइन रोकड़बही के अनुसार)			112	2390
				3867226.00	3794217.32

पंचायत सचिव
पंचायत सामुदायिक केन्द्र हरिपुर
विकास खण्ड देहरा (कांगड़ा) हि.प्र.

परिशिष्ट -04 (पैरा संख्या –"7")

कार्यालय ग्राम पंचायत हरिपुर विकास खंड देहरा जिला काँगड़ा हि.प्र.176028

दिनांक 31-03-2024 को ग्राम पंचायत हरिपुर में वसूली हेतू शेष सम्पत्ति कर/गृह कर:-

पंचायत क्षेत्र के निवासी परिवारों की कुल संख्या 2022-23 व 2023-24 में 1006 परिवारों का रू 50/- प्रति परिवार प्रति वर्ष की दर से:-

वितीय वर्ष	अथशेष	परिवार	गृह कर वार्षिक दर	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतू शेष राशि
2022-23	26190	1006	50	50300	76490	43600	32890
2023-24	32890	1006	50	50300	83190	55970	27220

हस्ताक्षर

दिनांक

पंचायत सचिव

पंचायत सामुदायिक केन्द्र...

विकास खण्ड देहरा

परिशिष्ट - 5 (पैरा संख्या - "8.1")

कार्यालय ग्राम पंचायत हरिपुर विकास खंड देहरा जिला काँगड़ा हि.प्र., प्राप्त की गई विवाह पंजीकरण शुल्क राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाने से राजस्व हानि							
क्र० सं०	नाम	विवाह की तिथि	पंजीकरण तिथि	वि.रजि.पृ.स. / रसीद स0	वसूली योग्य राशि	वसूली गई राशि	कम वसूली गई राशि
1	निशांत मेहरा	20-04-2022	28-04-2022	071/017	200	200	0
2	आयुष महाजन	20-02-2022	18-04-2022	071/016	400	400	0
3	शशांक	20-02-2022	07-05-2022	072/018	400	400	0
4	अमित सिंह	16-04-2022	07-06-2022	072/019	400	400	0
5	दिनेश सिंह	11-05-2022	21-06-2022	073/20	400	400	0
6	जगमोहन शर्मा	03-05-2022	12-07-2022	073/021	400	400	0
7	आकाश रैणा	21-06-2022	16-07-2022	074/022	200	200	0
8	मुकेश कुमार	03-07-2022	21-07-2022	074/023	200	200	0
9	पंकज कौंडल	20-07-2022	08-08-2022	075/024	200	200	0
10	रजत	18-07-2022	08-08-2022	075/025	200	200	0
11	शुभम शर्मा	11-08-2022	05-09-2022	076 /026	200	200	0
12	अरुण कुमार	02-12-2022	14-12-2022	076 /027	200	200	0
13	मयंक कौंडल	02-12-2022	26-12-2022	077/028	200	200	0
14	अक्षय अवस्थी	02-12-2022	30-12-2022	077 /029	200	200	0
15	साहिल चौधरी	25-01-2023	04-02-2023	078 /030	200	200	0
16	गगन कुमार	28-01-2023	06-02-2023	078/031	200	200	0
17	विकास	31-01-2023	17-02-2023	079/032	200	200	0
18	दीपक कुमार	07-02-2023	01-03-2023	079/033	200	200	0
19	रिशव चौधरी	22-02-2023	10-03-2023	080/034	200	200	0
20	चन्दन चमोत्रा	27-01-2023	14-03-2023	080/35	400	400	0
21	निशचल भारती	30-01-2023	22-03-2023	081/36	400	400	0
22	रोहित कुमार	08-03-2023	22-03-2023	081/037	200	200	0
23	सुनील कुमार	05-03-2023	24-03-2023	082/038	200	200	0
24	साहिल बग्गा	08-03-2023	20-04-2023	082/ 039	400	400	0
25	विवेक कुमार	14-04-2023	28-04-2023	083/040	200	200	0
26	अश्वनी कुमार	02-05-2023	15-05-2023	083/041	200	200	0
27	सुमित कुमार	11-05-2023	02-06-2023	084/043	200	200	0
28	अमित कुमार	11-05-2023	19-06-2023	084/044	400	400	0
29	गगन कुमार	09-07-2023	14-08-2023	085/045	400	400	0
30	शुभम चौधरी	26-10-2023	01-11-2023	085/046	200	200	0
31	विशाल	18-10-2023	16-11-2023	086/047	200	200	0
32	विकास धीमान	01-11-2023	23-11-2023	086/048	200	200	0
33	रमन कुमार	24-09-2023	04-12-2023	087/049	400	400	0
34	तरुण वर्मा	22-11-2023	12-12-2023	087/50	200	200	0
35	तरुण कुमार	07-12-2023	18-12-2023	088/051	200	200	0
36	कृष्ण कुमार	07-12-2023	22-12-2023	088/052	200	200	0
37	प्रतीक रैणा	04-02-2024	26-02-2024	089/053	200	200	0
38	गौरव शर्मा	20-12-2023	01-03-2024	089/054	400	400	0
39	पारुल शर्मा	18-02-2024	11-03-2024	090/055	200	200	0
40	शुभम कंडवाल	07-03-2024	16-03 24	090/056	200	200	0
				कुल	**10400**	**10400**	**0**

पंचायत सचिव
पंचायत सामुदायिक केन्द्र हरिपुर
विकास खण्ड देहरा (कांगड़ा) हि० प्र०

परिशिष्ट – 6 (पैरा संख्या – "9.1" व "9.2")

कार्यालय ग्राम पंचायत हरिपुर विकास खंड देहरा जिला काँगड़ा हि.प्र.-176028 औपचारिकताओं को पूर्ण किये विना स्टॉक/स्टोर क्रय करना व स्टॉक/स्टोर की क्रय की गई सामग्री की प्रविष्टियां भंडार पुस्तिकाओं में न करना

क्र. स.	मद का नाम	वाउचर संख्या / दिनांक	फर्म का नाम	बिल संख्या / दिनांक	सामग्री	मात्रा CFT	दर	राशि	टिप्पणी
1	NREGA	Nil/27.06.2023	M/s Mukesh Kumar Constrs.&Material Supplier Mehwa	074/20.08.2022	Sand	110	48	5280	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
					Bazri	220	44.00	9680	
					Solling	100	38.00	3800	
2	NREGA	Nil/30.06.2023	do	087/27.02.2023	Sand	350	48	16800	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
3	NREGA	Nil/30.06.2023	do	088/02.04.2023	Bajra(40mm)	210	43	9030	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
4	NREGA	Nil/30/06/2023	do	133/07/03/2023	Sand	55	48	2640	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
					Bajra(40mm)	130	43	5590	
5	NREGA	Nil/30/06/2023	do	132/27/03/2023	Sand	310	48	14880	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
					Bajri (20mm)	350	44	15400	
6	NREGA	Nil/30.06.2023	do	124/17/03.2023	Sand	385	48	18480	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
7	NREGA	Nil/30.06.2023	do	090/15/12/2022	Sand	350	48	16800	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
8	NREGA	Nil/30/06/2023	do	091/18/12/2022	Bajra(40mm)	210	43	9030	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
9	NREGA	Nil/30/06/2023	M/s Chetan Kumar Haripur	209/30/06/2023	Bajri (20mm)	250	44	11000	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
10	NREGA	Nil/30/06/2023	do	212/07.01.2023	Bajri (20mm)	320	44	14080	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
11	NREGA	Nil/30/06/2023	do	213/07/01/2023	Soling	170	37.5	6375	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
12	NREGA	Nil/30/06/2023	M/s Mukesh Kumar Consts. &Material Supplier Mehwa	082/15.12.2022	Sand	280	48	13440	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
13	NREGA	Nil/30/06/2023	do	103/07/01/2023	Sand	205	48	9840	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
14	NREGA	Nil/30/06/2023	do	104/07/01/2023	Bajra(40mm)	120	43	5160	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
15	NREGA	Nil/27/06/2023	do	107/07/01/2023	Sand	130	48	6240	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
16	NREGA	Nil/30/06/2023	M/s Chetan Kumar Haripur	210/18/12/2022	Bajri (20mm)	300	44	13200	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
17	NREGA	Nil/30/06/2023	do	215/07/01/2023	Bajri (20mm)	370	44	16280	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
18	NREGA	Nil/27/06/2023	M/s Mukesh Kumar Consts. &Material Supplier Mehwa	093/18/12/2023	Sand	350	48	16800	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
19	NREGA	Nil/27/06/2023	M/s Mukesh Kumar Consts. &Material Supplier Mehwa	094/18/12/2022	Bajra(40mm)	280	43	12040	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
20	NREGA	Nil/30/06/2023	do	116/27/02/2023	Sand	200	48	9600	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई

पंचायत सचिव
पंचायत सामुदायिक केंद्र...
विकास खण्ड देहरा (कांगड़ा) हि० प्र०

हस्ताक्षर

21	NREGA	Nil/27/06/2023	do	118/27.02.2023	Sand	440	48	21120	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
22	NREGA	Nil/30/06/2	M/s Chetan Kumar Haripur	004/27/02/2023	Bajri (20mm)	400	44	17600	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
23	NREGA	Nil/30/06/2023	M/s Mukesh Kumar Consts. &Material Supplier Mehwa	119/27/02/2023	Sand	700	48	33600	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
24	NREGA	Nil/30/06/2023	do	073/07/01/2023	Sand	150	48	7200	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
					Bajra(40mm)	260	44	11440	
25	NREGA	Nil/27/06/2023	do	113/24/12/2022	Local Bajra	1400	32	44800	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
26	NREGA	Nil/30/06/2023	M/s Chetan Kumar Haripur	003/27/02/2023	Bajri (20mm)	400	44	17600	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
27	NREGA	Nil/27/06/2023	M/s Mukesh Kumar Consts. &Material Supplier Mehwa	114/24/12/2022	Sand	700	48	33600	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
28	SDP	01/23.05.2022	M/s Mukesh Kumar Constrs.&Material Supplier Mehwa	054/18.05.2022	Sand	350	48	16800	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
					Bazra	350	43.00	15050	
					Solling	120	38.00	4560	
29	NREGA	01/21.05.2022	M/s Chetan Kumar Haripur	159/Nil	Sand	600	50	30000	स्टॉक प्रविष्टियां व निविदाये प्रस्तुत नहीं की गई
					Bazra	1200	42.00	50400	
					Solling	200	38.00	7600	
30	15TH FC	4/23.05.22	HPCS Dehra	2096/21.05.22	Cement Bag	27	323.00	8721	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
31	15TH FC	05/28.05.22	HPCS Dehra	2096/21.05.22	Cement Bag	34	323.00	10982	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
32	15TH FC	06/28.05.22	HPCS Dehra	2096/21.05.22	Cement Bag	70	323.00	22610	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
33	NREGA	Nil/21.05.2022	M/s Kanika Tiles Industries Bhatoli	009/Nil	Interlock Tiles (60mm)	6500	10.75	69875	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
34	NREGA	Nil/21.05.2022	HPCS Dehra	021/27.12.21	Cement Bag	200	323.00	64600	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
36	NREGA	Nil/21.05.2022	HPCS Dehra	0019121/09.03.22	Cement Bag	120	323.00	38760	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
37	NREGA	Nil/21.05.2022	M/s Kanika Tiles Industries Bhatoli	010/Nil	Interlock Tiles (60mm)	2100	10.75	22575	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
38	NREGA	Nil/21.05.2022	HPCS Dehra	020/27.12.21	Cement Bag	155	323.00	50065	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की
30	15TH FC	4/23.05.22	HPCS Dehra	2096/21.05	Cement Bag	27	323.00	8721	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की
39	NREGA	Nil/21.05.2022	HPCS Dehra	0019111/09.03.22	Cement Bag	190	323.00	61370	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
40	NREGA	Nil/21.05.2022	HPCS Dehra	022/17.12.21	Cement Bag	100	323.00	32300	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
41	NREGA	Nil/21.05.2022	HPCS Dehra	019/27.12.21	Cement Bag	110	323.00	35530	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
42	NREGA	Nil/21.05.2022	HPCS Dehra	023/17.12.21	Cement Bag	230	323.00	74290	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
43	NREGA	Nil/21.05.2022	HPCS Dehra	024/19.01.2022	Cement Bag	80	323.00	25840	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई

पंचायत सचिव
पंचायत सामुदायिक केंद्र
विकास खण्ड देहरा

44	NREGA	Nil/21.05.2022	HPCS Dehra	0012633/09.03.22	Cement Bag	120	323.00	38760	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
45	NREGA	Nil/21.05.2022	HPCS Dehra	0019115/19.1.22	Cement Bag	110	323.00	35530	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
46	NREGA	Nil/27.06.2023	M/s Mukesh kumar C&M Suplr.Mehwa	036/7.1.23	Cement Carriage	65	35.00	2275	निविदाये प्रस्तुत नहीं की गई
47	NREGA	Nil/30.06.2023	do	089/2.4.23	Sign Board	1	1590.00	1590	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
48	NREGA	Nil/30.06.2023	M/s Mukesh kumar C&M Suplr.Mehwa	096/7.1.23	Cement Carriage	93	36.50	3394.5	निविदाये प्रस्तुत नहीं की गई
49	NREGA	Nil/27.06.2023	M/s Mukesh kumar C&M Suplr.Mehwa	035/7.1.23	Cement Carriage	100	35.00	3500	निविदाये प्रस्तुत नहीं की गई
50	NREGA	Nil/30.06.2023	M/s Mukesh kumar C&M Suplr.Mehwa	097/7.1.23	Cement Carriage	125	35.00	4375	निविदाये प्रस्तुत नहीं की गई
51	NREGA	Nil/30.06.2023	M/s Mukesh kumar C&M Suplr.Mehwa	079/18.2.23	Cement Carriage	160	35.00	5600	निविदाये प्रस्तुत नहीं की गई
52	NREGA	Nil/30.06.2	do	092/18.2.2	Sign Board	1	1590.00	1590	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की
44	NREGA	Nil/21.05.2 023	HPCS Dehra	0012633/0	Cement Bag	120	323.00	38760	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की
53	NREGA	Nil/30.06.2023	do	120/27.2.23	Sign Board	1	1590.00	1590	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
54	NREGA	Nil/28.06.2023	M/s Maa SukralaTiles Bankhandi	153/1.1.23	C.C.Blocks	230	50.00	11500	स्टॉक प्रविष्टि व निविदाये प्रस्तुत नहीं की गई
55	NREGA	Nil/28.06.2023	M/s Mukesh kumar C&M Suplr.Mehwa	115/24.12.22	Cement Carriage	180	35.00	6300	निविदाये प्रस्तुत नहीं की गई
					कुल योग			1206358	

नोट:1. क्रम संख्या 29, 46, 48 से 51 तथा 54 व 55 की औपचारिकताओं को पूर्ण नहीं किया गया
2. क्रम संख्या 1 से 45, 47, 52, 53, व 54 को स्टॉक प्रविष्टियों का इन्द्राज नहीं किया गया।
3. राशी 3394.5 को 3395 लिया गया है।

पंचायत सचिव
पंचायत सामुदायिक केन्द्र
विकास खण्ड देहरा (कांगड़ा) हि० प्र०

हस्ताक्षर
लेखाकार

परिशिष्ट – 7 (पैरा संख्या – "9.3")

कार्यालय ग्राम पंचायत हरिपुर विकास खंड देहरा जिला काँगड़ा हि.प्र. -176028 द्वारा क्रय की गई खनन निर्माण सामग्री

क्र. स.	मद का नाम	वाउचर संख्या / दिनाकं	फर्म का नाम	बिल संख्या / दिनाकं	सामग्री	मात्रा CFT	दर	राशि
1	NREGA	Nil/27.06. 2023	M/s Mukesh Kumar Constrs.&Material Supplier Mehwa	074/20.08.2 022	Sand	110	48	5280
					Bazri	220	44.00	9680
					Solling	100	38.00	3800
2	NREGA	Nil/30.06. 2023	do	087/27.02.2 023	Sand	350	48	16800
3	NREGA	Nil/30.06. 2023	do	088/02.04.2 023	Bajra(40mm)	210	43	9030
4	NREGA	Nil/30/06/ 2023	do	133/07/03/2 023	Sand	55	48	2640
					Bajra(40mm)	130	43	5590
5	NREGA	Nil/30/06/ 2023	do	132/27/03/2 023	Sand	310	48	14880
					Bajri (20mm)	350	44	15400
6	NREGA	Nil/30.06. 2023	do	124/17/03.2 023	Sand	385	48	18480
7	NREGA	Nil/30.06. 2023	do	090/15/12/2 022	Sand	350	48	16800
8	NREGA	Nil/30/06/ 2023	do	091/18/12/2 022	Bajra(40mm)	210	43	9030
9	NREGA	Nil/30/06/ 2023	M/s Chetan Kumar Haripur	209/30/06/2 023	Bajri (20mm)	250	44	11000
10	NREGA	Nil/30/06/ 2023	do	212/07.01.2 023	Bajri (20mm)	320	44	14080
11	NREGA	Nil/30/06/ 2023	do	213/07/01/2 023	Soling	170	37.5	6375
12	NREGA	Nil/30/06/ 2023	M/s Mukesh Kumar Consts. &Material Supplier Mehwa	082/15.12.2 022	Sand	280	48	13440
13	NREGA	Nil/30/06/ 2023	do	103/07/01/2 023	Sand	205	48	9840
14	NREGA	Nil/30/06/ 2023	do	104/07/01/2 023	Bajra(40mm)	120	43	5160
15	NREGA	Nil/27/06/ 2023	do	107/07/01/2 023	Sand	130	48	6240
16	NREGA	Nil/30/06/ 2023	M/s Chetan Kumar Haripur	210/18/12/2 022	Bajri (20mm)	300	44	13200
17	NREGA	Nil/30/06/ 2023	do	215/07/01/2 023	Bajri (20mm)	370	44	16280
18	NREGA	Nil/27/06/ 2023	M/s Mukesh Kumar Consts. &Material Supplier Mehwa	093/18/12/2 023	Sand	350	48	16800
19	NREGA	Nil/27/06/ 2023	M/s Mukesh Kumar Consts. &Material Supplier Mehwa	094/18/12/2 022	Bajra(40mm)	280	43	12040

पंचायत सचिव
पंचायत सामुदायिक केन्द्र
विकास खण्ड देहरा

हस्ताक्षर

20	NREGA	Nil/30/06/2023	do	116/27/02/2023	Sand	200	48	9600
21	NREGA	Nil/27/06/2023	do	118/27.02.2023	Sand	440	48	21120
22	NREGA	Nil/30/06/2	M/s Chetan Kumar Haripur	004/27/02/2023	Bajri (20mm)	400	44	17600
23	NREGA	Nil/30/06/2023	M/s Mukesh Kumar Consts. &Material Supplier Mehwa	119/27/02/2023	Sand	700	48	33600
24	NREGA	Nil/30/06/2023	do	073/07/01/2023	Sand	150	48	7200
					Bajra(40mm)	260	44	11440
25	NREGA	Nil/27/06/2023	do	113/24/12/2022	Local Bajra	1400	32	44800
26	NREGA	Nil/30/06/2023	M/s Chetan Kumar Haripur	003/27/02/2023	Bajri (20mm)	400	44	17600
27	NREGA	Nil/27/06/2023	M/s Mukesh Kumar Consts. &Material Supplier Mehwa	114/24/12/2022	Sand	700	48	33600
28	SDP	01/23.05.2022	M/s Mukesh Kumar Constrs.&Material Supplier Mehwa	054/18.05.2022	Sand	350	48	16800
					Bazra	350	43.00	15050
					Solling	120	38.00	4560
29	NREGA	01/21.05.2022	M/s Chetan Kumar Haripur	159/Nil	Sand	600	50	30000
					Bazra	1200	42.00	50400
					Solling	200	38.00	7600
						कुल योग		**572835**

NOTE:- उपरोक्त खनन निर्माण सामग्री ग्राम पंचायत द्वारा Xऔर W फॉर्म प्राप्त किए बिना ही क्रय की गई थी।

पंचायत सचिव
पंचायत समुन्नयिक केन्द्र
/विकास खण्ड देहरा

हस्ताक्षर

परिशिष्ट - 8 (पैरा संख्या - "17.4")

कार्यालय ग्राम पंचायत हरिपुर विकास खंड देहरा दिनांक 01.04.2022 को गत अंकेक्षण/वितीय स्थिति के अनुसार अथशेष तथा दिनांक 01-04-2022 को स्कीम वाइज़ ऑनलाइन रोकड़वहियों के बैंक व नकद शेष निम्न थे :-

क्रमांक	मद	दिनांक 01.04.2022 को गत अंकेक्षण के अनुसार अथशेष	दिनांक 01.04.2022 को प्रस्तुत स्कीम वाइज़ ऑनलाइन रोकड़वहियों अनुसार अथशेष	
			नकद शेष	बैंक
1	सभा निधि	1222795	964	395231
2	5TH SFC	198690	0	0
3	VKVNY	66541	0	65479
4	MPLAD	65833	0	64865
5	SDP	138601	0	240119
6	RAY	3947	0	3710
7	MMGPY	10255	0	10104
8	TSC/SBM	108953	0	144090
9	14TH FFC	425100	1	1460641
10	15TH FFC	1626386.60	0	1785416
	TOTAL	**3867101.6**	**965**	**4169655**

पंचायत सचिव
पंचायत सामुदायिक केन्द्र
विकास खण्ड देहरा